<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>13-01-2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल)** के निदेशकों/भागीदारों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 15.01 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, ईओबी, मुंबई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल) और इसके निदेशकों/प्रमोटरों कमलेश कटारिया और नितेश कटारिया और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेसर्स जेपीसीपीएल ने धोखाधड़ी से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को ऋण चुकाने में चूक की है, जिससे 196.82 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ है।

ईडी की जांच से पता चला है कि जेपीसीपीएल बीओआई और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहा था और धन को विभिन्न संस्थाओं और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में भेज रहा था। उधारकर्ता ने विभिन्न रेड फ्लैग वाली संस्थाओं को धन हस्तांतरित करके बैंक ऑफ इंडिया को 196.82 करोड़ रुपये और ब्याज का धोखा दिया था। धन का डायवर्जन श्रम भुगतान के नाम पर किया गया था; जो गैर-कंसोर्टियम बैंकों को डायवर्ट किया गया और बैंक की जानकारी के बिना चल/अचल संपत्तियों का निपटान भी किया गया। निदेशक शेयरधारकों द्वारा बैंक के धन से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिन्हें बाद में बिना किसी प्रतिफल के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया, ताकि अपराध की आय को छुपाया जा सके।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।